

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना दिनांक- २०-११-०२

सं० 17/ए3-12/07-.../स्वा० विभाग के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के पैथोलॉजी विभाग के निम्नांकित ट्यूटोर एवं कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत कार्यरत सहायक प्राध्यापकों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ 4 में उल्लिखित तिथि से ट्यूटोरों को प्रोन्नत एवं कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत कार्यरत सहायक प्राध्यापकों को प्रोन्नति को विनियमित किया जाता है:-

क्र०	कार्यकारी सहायक प्राध्यापक का नाम	कार्यकारी व्यवस्था अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक के पद पर योगदान की तिथि ।	निर्धारित प्रोन्नति की तिथि
1	2	3	4
1	डा० लक्ष्मण फडवी	24.03.04	24.03.04
2	डा० विलोप कुमार	-	योगदान की तिथि से ।
3	डा० रमेश चन्द्र त्रिधेयी	25.03.04	25.03.04
4	डा० सचिन्द्रानन्द जीवास्तव	24.03.04	24.03.04
5	डा० किरण श्रीवास्तव	25.03.04	25.03.04
6	डा० रमिकान्त मिश्रा	24.03.04	24.03.04
7	डा० योगेश ताल दास	24.03.04	24.03.04
8	डा० अरविन्द दयाल	25.03.04	25.03.04
9	डा० नवीन कुमार बरियार	21.11.05	21.11.05
10	डा० जेम प्रकाश त्रिधेयी	-	11.09.96
11	डा० मनोज कुमार	11.09.06	11.09.06
12	डा० उदय शंकर पांडेय	-	योगदान की तिथि से ।
13	डा० धवल कुमार चौधरी	-	योगदान की तिथि से ।
14	डा० सी० दत्ता	-	योगदान की तिथि से ।

- * अधिसूचना में वर्णित क्रमांक वरीयता के द्योतक नहीं है ।
- * योगदान के तिथि में भिन्नता अथवा अन्य कोई त्रुटि पाये जाने पर प्रोन्नति / नियमितकरण आदेश तदनुसार प्रमाणित होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डा० प्रमोद कुमार)

सरकार के उप सचिव ।

क्रमांक- 17/ए3-12/07 - 1000 (17) पटना, दिनांक- 20.11.07

प्रतिनिधि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं विहार मजद के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिनिधि- महालेखाकार, विहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि अभिलेख के आधार पर यदि किसी व्यक्ति/संस्था के योगदान की तिथि से भिन्नता दृष्टिगत हो, इसकी सूचना यथाशीघ्र इस विभाग को सूचित करें ताकि नियमानुसार इसका शुद्धिपत्र निर्गत किया जा सके ।

सरकार के उप सचिव ।

क्रमांक- 17/ए3-12/07 - 1000 (17) पटना, दिनांक- 20.11.07

प्रतिनिधि- मंत्री, स्वास्थ्य के आगत सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक / संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक / सभी प्राथमिक/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल / सभी सम्बन्धित चिकित्सक शिक्षक/निदेशक प्रमुख के निजी सहायक/ अपर निदेशक (चि०शि०) के निजी सहायक/ सभी सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी / वित्त विभाग, विहार, पटना / प्रशासन पदाधिकारी-17 एवं 1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।